



2026:AHC:56202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2091 सन् 2026

राजेश कुमार यादव

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

—
आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता : संजय ओझा, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता : जी.ए.

—
न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दायर पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 329 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के अन्तर्गत, थाना पाकवाड़ा, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि घटना 23.09.2025 को घटी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो महीने की देरी के बाद 18.11.2025 को अभिलिखित की गई। आगे यह भी बताया गया है कि डाक नियमावली के अनुसार, 30,000/- रुपये से अधिक की कोई भी राशि प्रधान कार्यालय को हस्तांतरित की जानी चाहिए, जबकि वर्तमान मामले में, 25,00,000/- रुपये नकद प्रधान कार्यालय को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। आगे यह निवेदन किया जाता है कि डाक नियमों के अनुसार, नकदी की संयुक्त अभिरक्षा का प्रावधान है और आवेदक किसी भी गबन के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि डाक नियमों के अनुसार, कार्यालय खुलने के समय नकदी की गिनती अनिवार्य है और कार्यालय बंद होने के समय भी इसकी पुनः गिनती की जाती है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि 23.09.2025 को कार्यालय खुलने पर नकदी की राशि में कोई विसंगति नहीं पाई गई। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।

6. आवेदक डाक विभाग का कर्मचारी है और उस पर 25,36,704/- रुपये और 7830/- रुपये के कुछ अन्य डाक टिकट लेकर फरार होने का आरोप है और प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो महीने की देरी से अभिलिखित की गई है, जबकि डाक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, 30,000/- रुपये से अधिक की नकदी को प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित करना अनिवार्य है, जबकि, वर्तमान मामले में 25,00,000/- रुपये की नकदी प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित नहीं की गई है। डाक नियमों के अनुसार, कार्यालय खुलने के समय नकदी की गिनती अनिवार्य है और कार्यालय बंद होने के समय भी इस को पुनः गिनती की जाती है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक-राजेश कुमार यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की सत्तुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"